



मथुरा पुलिस



प्रेस नोट- पुलिस मुठभेड़ थाना हाइवे जनपद मथुरा ।

दिनांक:-25.02.2026.

थाना हाइवे व रिवार्डी पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही द्वारा चोरी की घटना में वांछित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 01 जिंदा कारतूस .315 बोर, 02 खोखा कारतूस .315 बोर, चोरी का सामान व एक मोटर साइकिल प्लेटिना बरामद की गई ।

थाना हाइवे व रिवार्ड पुलिस टीम द्वारा की संयुक्त कार्यवाही में मुखबिर की सूचना पर दिनांक 25.02.2026 को मु0अ0सं0 166/26 धारा 305 बीएनएस में वांछित शातिर अभियुक्त राजवीर पुत्र बनवारी निवासी पीपला राजस्थान उम्र 32 वर्ष को पुलिस मुठभेड़ के दौरान अडूकी गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर रेलवे लाइन के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर , 01 जिंदा कारतूस , 02 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 चैन पीली धातु मोटी , 01 चैन (मोटी) पीली धातु ,01 चैन (पतली) पीली धातु, 01 चैन पीली धातु (काले व पीली धातु बीज टाईप), 01 जोड़ी पायल,04 बिछवे सफेद धातु, 01 डिस्क सफेद धातु, 04 गिलास पीली धातु (जिन पर ARTLARY CENTER NRC), 01 बैग काला छीटदार ग्रे और पीले रंग, एक मोटसाइकिल प्लेटिना UP80AU1868 बरामद हुई है पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त राजवीर के बांये पैर में गोली लगने से घायल हो गया , जिसको नियमानुसार चिकित्सा उपचार हेतु जिला चिकित्सालय मथुरा भेजा गया । उक्त घटना व अवैध असलाह बरामदगी के आधार पर थाना हाइवे पर मु0अ0सं0 182/2026 धारा 109(1) BNS(पु0मु0) व 5/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी ।

संक्षिप्त विवरण:- थाना क्षेत्र हाइवे में दिनांक 15/16.02.2026 को भगवती नगर चन्द्रपुरी मे अज्ञात चोर द्वारा भगवती नगर चन्द्रपुरी मे वादी मुकदमा के मकान मे चोरी कर ले गये थे उक्त घटना के संबंध मे थाना हाजा पर मु0अ0सं0 166/26 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया था । दौराने विवेचना एवं घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखने पर अभियुक्त राजवीर उपरोक्त का नाम प्रकाश मे आया ।थाना हाइवे पुलिस द्वारा उक्त वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी/माल बरामदगी के प्रयास के क्रम में मुखबिर ने सूचना दी कि दिनांक 15.02.2026 को भगवती नगर चन्द्रपुरी मे मकान में चोरी करने वाला व्यक्ति आज थाना हाईवे क्षेत्र मे चोरी करने की फिराक मे है जिसके पास एक काले रंग की प्लेटिना मोटर साईकिल भी है अगर सघनता से चैकिंग की जाये तो पकडा जा सकता है। थाना हाइवे

पुलिस ने रिवाडीं टीम के सहयोग से अडुकी रोड रेलवे लाईन के किनारे जाने वाले रास्ते पर दिनांक 25.02.2026 को समय करीब 22.05 बजे अडुकी गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर रेलवे लाइन के पास से आत्मरक्षार्थ हेतु की गयी नियंत्रित फायरिंग (पुलिस मुठभेड) के दौरान अभियुक्त राजवीर उपरोक्त को मय चोरी के माल के गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त का नाम व पता –

राजवीर पुत्र बनवारी निवासी पीपला राजस्थान उम्र करीब 32 वर्ष ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय:-

स्थान:- अडुकी गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर रेलवे लाइन के पास ,दिनांक 25.02.2026 समय 22.05 बजे ।

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण: –

- 1.01 तमंचा .315 बोर ।
2. 01 जिंदा कारतूस .315 बोर ।
3. 02 खोखा कार0 .315 बोर ।
- 4.01 चेन पीली धातु मोटी ।
- 5.01 चेन (मोटी) पीली धातु ।
- 6.01 चेन (पतली) पीली धातु ।
- 7.01 चेन पीली धातु (काले व पीली धातु बीज टाईप) ।
- 8.01 जोडी पायल,04 बिछवे सफेद धातु।
- 9.1 डिस्क सफेद धातु ।
- 10.04 गिलास पीली धातु (जिन पर ARTLARY CENTER NRC) ।
- 11.01 बैग काला छीटदार ग्रे और पीले रंग ।
- 12.एक मोटसाइकिल प्लेटिना UP80AU1868 ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 01.मु0अ0सं0 566/14 धारा 380/411/457 आईपीसी थाना हाइवे ।
02. मु0अ0सं0 831/24 धारा 305ए/317(2)/331(4) बीएनएस थाना कोतवाली मथुरा ।
03. मु0अ0सं0 81/25 धारा 305ए/317(2)/331(4) बीएनएस थाना कोतवाली मथुरा ।
04. मु0अ0सं0 389/25 धारा 305ए/317(2)/331(4) बीएनएस थाना कोतवाली मथुरा ।

05. मु0अ0सं0 337/23 धारा 414/420/482 आईपीसी थाना सदर बाजार मथुरा ।
06. मु0अ0सं0 336/25 धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस थाना जैत मथुरा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के सदस्यों के नाम:-

1. उ0नि0 अनुज तोमर थाना हाइवे मथुरा ।
2. उ0नि0 नितिन राठी थाना हाइवे मथुरा ।
3. उ0नि0 सावेज चौधरी रिवाडी टीम प्रभारी मथुरा ।
4. है0का0 1694 अम्बेश कुमार थाना हाइवे मथुरा ।
5. का0 692 सूरजपाल थाना हाइवे मथुरा ।
6. का0 1813 उज्जवल कुमार थाना हाइवे मथुरा ।
7. का0 1822 रुबिल कुमार थाना हाइवे मथुरा ।
8. है0का0 1159 विशाल गौतम रिवाडी टीम मथुरा ।
9. का0 2936 पवन भाटी रिवाडी टीम मथुरा ।
10. का0 2935 सोनु भाटी रिवाडी टीम मथुरा ।


